परेशानी

भीषण गर्मी और उमस के बीच यात्री हो रहे परेशान

खुले आसमान के नीचे इंतजार को मजबूर यात्री

जबलपुर, नवभारत। एक ओर रेलवे देशभर के प्रमुख स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के दावे कर रहा है, वहीं जबलपुर रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में यात्रियों की परेशानी इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। स्टेशन के बाहर बने सर्कुलेटिंग क्षेत्र में बड़ी संख्या में यात्री तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बीच खुले में बैठकर ट्रेन का इंतजार करने को मजबूर हैं।

जानकारी के अनुसार इन दिनों गुजरात से सोमनाथ एक्सप्रेस से आने वाले यह मजदूर और छात्र वर्ग रात को शक्तिपुंज एक्सप्रेस से बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर यात्रा करने के लिए दिनभर उमस भरी गर्मी के बीच सर्कुलेटिंग एरिया में बैठा रहता है।

बता दे कि दोपहर के समय तापमान 36 डिग्री के आसपास पहुंचने पर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं। यात्रियों का कहना है कि स्टेशन परिसर में प्रतीक्षालय और आधुनिक सुविधाओं के दावे किए जाते हैं, लेकिन बाहर के सर्कुलेटिंग एरिया में पर्याप्त छायादार शेड, बैठने की व्यवस्था और गर्मी से राहत के साधन नदारद हैं। ऐसे में घंटों इंतजार करना किसी सजा से कम नहीं लगता।

बड़े सवाल जो रोज़ उठ रहे

- क्या सर्कुलेटिंग एरिया में स्थायी शेड और अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए?
- भीषण गर्मी में खुले में बैठे यात्रियों की जिम्मेदारी कौन लेगा?
- करोड़ों रुपये के विकास कार्यों के बावजूद यात्रियों को मूलभूत राहत क्यों नहीं मिल रही?

मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं

गौरतलब है कि जबलपुर स्टेशन पर एसी वेटिंग रूम, लाउंज, एस्केलेटर और अन्य आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होने की जानकारी रेलवे द्वारा दी गई है। लेकिन मध्यम वर्गीय लोगो को आज भी खुले में ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। स्टेशन के बाहरी सर्कुलेटिंग क्षेत्र में यात्रियों के लिए पर्याप्त छाया और आरामदायक इंतजार व्यवस्था का अभाव दिखाई देता है। यात्रियों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी स्टेशन भवन के भीतर की व्यवस्थाओं पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बाहर जहां आम यात्री सबसे अधिक समय बिताते हैं, वहां की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में यह लापरवाही यात्रियों के स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ सकती है।

अवैध हिरासत के आरोपों पर घिरी पुलिस, सुनवाई टली

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में गुरुवार को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से वायरल कथित फर्जी पत्र के मामले में कांग्रेस आईटी सेल के तीन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर उठे अवैध हिरासत के आरोपों पर सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को निर्धारित की है। तब तक मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस को अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।

दरअसल, मामला उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से जुड़ा है, जिसमें भोपाल के खिजर खान व अन्य ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस आईटी सेल से जुड़े निखिल, बिलाल और इनाम को अप्रैल में भोपाल से उठाए जाने के बाद दो दिनों तक विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए बिना हिरासत में रखा गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि युवकों को समय पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया। मामले की पिछली सुनवाई में तब नया मोड़ ले लिया था, जब राजस्थान पुलिस तीनों युवकों को हाईकोर्ट में पेश किया था।

ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह के पहले आरडीवीवी में हंगामा

आक्रोशित छात्राओं ने कहा..
सम्मान नहीं तो करेंगे बहिष्कार
राष्ट्रपति के हाथों सम्मान नहीं मिलने की खबर से उपजा आक्रोश

नवभारत, जबलपुर। 21 जून को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु की उपस्थिति में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आयोजित 36वें दीक्षांत समारोह के पहले गुरूवार दोपहर को विवि परिसर में जमकर हंगामा हुआ। वजह स्वर्ण पदक धारियों में से सिर्फ 20 विद्यार्थियों का राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान और बाकी अन्य विद्यार्थियों को इस सम्मान से वंचित रखना। स्वर्ण पदक प्राप्त छात्राओं ने ये भी कहा कि जब सभी स्वर्ण पदकधारी समान उपलब्धि रखते हैं, तो केवल कुछ विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित करने का आधार क्या है? किस आधार पर 20 विद्यार्थियों का चयन किया गया है इसे सार्वजनिक किया जाए। ये सारी मांगे आक्रोशित विद्यार्थियों ने कलेक्टर के नाम कुलगुरू को ज्ञापन सौंपकर की। हालांकि कुलपति ने अपनी ओर से आश्वासन देने का प्रयास किया परन्तु स्कॉलर्स चाहते हैं कि यदि राष्ट्रपति नहीं तो कम से कम प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल के हाथों यह डिग्री दी जानी चाहिए। छात्राओं ने ये भी आरोप लगाया है कि जिन 20 विद्यार्थियों का चयन हुआ है उसका मापदंड भी गलत है।

इस संबंध में डॉ. दिव्या चौबे, डॉ अभिषेक, डॉ सुप्रिया अम्बर, डॉ. श्वेता तिवारी, डॉ.समिति शास्त्री, प्रियांशी कौरव ने नवभारत को बताया कि डॉक्टरेट की डिग्री, डी लिट, स्नातकोत्तर, स्वर्ण पदक प्राप्त स्कॉलर्स के करीब 220 स्टूडेंट्स को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 21 जून को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु की उपस्थिति में होने वाले ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह की रिहर्सल के लिए बुलाया गया था। पहले उन सभी से कहा गया था कि उन्हें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के हाथों उपाधि, डिग्री प्रदान की जाएगी। रिहर्सल के पहले दिन गुरूवार को ये सभी स्टूडेंट्स विवि परिसर पहुंचे जहां उन सभी रिहर्सल के दौरान इंचार्ज संधू सर और प्रो.राकेश बाजपेयी के द्वारा अचानक ही ये जानकारी दी गई कि राष्ट्रपति के हाथों सिर्फ चुने हुए 20 विद्यार्थियों को ही राष्ट्रपति के द्वारा मंच पर डिग्री दी जाएगी बाकी के 220 विद्यार्थियों को केवल अपने स्थान पर खड़े होना है और नमस्कार करना है। बस फिर क्या था ये संदेश सुनकर सभी स्टूडेंट्स का आक्रोश भड़क उठा और उन्होनें विवि प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।

हम सभी सम्मान के हकदार

आक्रोशित छात्राओं का कहना था कि करीब 220 उपाधि वाले वाले हकदार विद्यार्थियों को सम्मान डिग्री मंच से मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि क्या हम दर्शक दीर्घा में बैठने आए हैं.. आक्रोशित छात्राओ ने दो टूक कहा कि अगर उन्हें मंच से डिग्री नहीं मिलेगी तो वे कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगीं और विवि परिसर के बाहर राष्ट्रपति का स्वागत करेंगीं।

जब सपना टूट गया...

जानकारी के अनुसार दीक्षांत समारोह के रिहर्सल के लिए डॉक्टरेट की डिग्री, डी लिट, स्नातकोत्तर, स्वर्णपादक प्राप्त स्कॉलर्स को बुलाया गया था जिसके रिहर्सल के लिए 18,19, 20 जून की सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया। उपाधि प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करवाए गए है। सभी स्कॉलर्स इस खबर से काफ़ी उत्साहित थे कि उन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल के हाथों उपाधि दी जाएगी। लेकिन गुरूवार को ये सपना टूट गया।

उमा भारती की अधिवक्ता को वकालतनामा पेश करने मिली मोहलत

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दायर की है याचिका

जबलपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के खिलाफ दायर मानहानि प्रकरण में हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ द्वारा सुनवाई की गयी। याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता रूचिता गोहिल की तरफ से वकालतनामा पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। एकलपीठ ने आग्रह को

स्वीकार करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को निर्धारित की है।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2003 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेत्री उमा भारती ने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया था कि उनके संबंध अंडरवर्ल्ड से है। जिसके कारण उसकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा का आघात तथा छवि धूमिल हुई है। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उमा भारती को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके अलावा भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट के दायर परिवाद का रिकॉर्ड भी तलब किया था। याचिका की सुनवाई के दौरान उमा भारती की तरफ से पैरवी की लिए अधिवक्ता रूचिता गोहिल उपस्थित हुई। उन्होने एकलपीठ से जवाब पेश करने तथा खुद का वकालतनामा पेश करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया। एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को निर्धारित की है।

एमआरपी से अधिक कीमत पर खाद बेचने वाले विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई

जबलपुर। जिले में उर्वरकों की बिक्री केवल पैकेट पर दर्ज अधिकतम खुदरा मूल्य या उससे कम कीमत पर ही की जा सकेगी। यदि कोई भी सहकारी समिति या निजी विक्रेता निर्धारित मूल्य से एक भी रुपया अधिक वसूलता पाया गया, तो उसके खिलाफ वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस संबंध में कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उप संचालक कृषि उमेश कुमार कटहरे ने जानकारी देते हुये बताया कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के नियमों के तहत कोई भी डीलर, निर्माता या आयातक निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक दाम पर उर्वरकों की बिक्री नहीं कर सकता। ऐसा करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जायेगी। उप संचालक कृषि ने बताया कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में विकास प्रणाली के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री की जा रही है। किसानों की जागरूकता के लिए खाद के दाम तीन अलग-अलग स्तरों-उर्वरक की बोरी, ई-विकास पोर्टल एवं पीओएस मशीन-पर प्रदर्शित हो रहे हैं।

जहर के सेवन से युवक की मौत

जबलपुर। लार्डगंज थाना अंतर्गत यादव कॉलोनी में जहरीली वस्तु का सेवन करने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस के अनुसार यादव कॉलोनी निवासी संजीव कुमार शुक्ला (45) ने बुधवार शाम लगभग 7:20 बजे अपने घर पर किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान रात लगभग 9:15 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मृतक ने जहरीली वस्तु का सेवन किन परिस्थितियों में और क्यों किया। विस्तृत जांच के बाद तो तथ्य सामने आयेंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही होगी।

नीट परीक्षा के लिए समय पर चलेंगी ट्रेनें

जबलपुर, नवभारत। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 21 जून को आयोजित की जा रही है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवागमन को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल द्वारा यात्रियों एवं परीक्षार्थियों की सुविधा, सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भीड़ प्रबंधन व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे, इसके लिए ट्रेनों को समय पर चलाने की व्यवस्था की जा रही है जबलपुर मंडल के क्षेत्राधिकार में स्थित परीक्षा केन्द्रों वाले प्रमुख शहरों में जबलपुर, रीवा, दमोह, सागर एवं सतना शामिल हैं। इन शहरों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुँचने की संभावना है। परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या का विवरण जबलपुर (10,441), रीवा (5,399), सागर (2,769), सतना (2,912) एवं दमोह (1,147)। इन सभी केन्द्रों पर कुल 22,668 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वही वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा एवं सुरक्षित आवागमन के लिए जबलपुर मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर विशेष व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं।

आरपीएफ और जीआरपी की होगी तैनाती

परीक्षा दिवस पर स्टेशन परिसरों, प्रवेश एवं निकास द्वारों तथा प्लेटफार्मों पर अतिरिक्त भीड़ नियंत्रण व्यवस्था लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि रेलवे प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि जबलपुर से प्रारंभ एवं समाप्त होने वाली गाडियों का संचालन समयबद्ध रखा जाए तथा जबलपुर, रीवा, सतना, दमोह एवं सागर रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाली बाहरी गाडियों की समय पालनता सुनिश्चित की जाए। स्टेशनों पर यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए सर्कुलेटिंग एरिया का निर्धारण कर भीड़ के अनावश्यक जमाव को नियंत्रित किया जाएगा। यात्रियों की सहायता एवं मार्गदर्शन हेतु वाणिज्य विभाग, रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी एवं परिचालन विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। यात्रियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन परिसरों में निरंतर उद्घोषणाएँ की जाएंगी तथा पूछताछ केन्द्र एवं सहायता डेस्क सक्रिय रहेंगे।

विधायक निर्मला सप्रे ने कहा- नहीं छोड़ी है कांग्रेस, फैसला सुरक्षित

जबलपुर। बीना से विधायक निर्मला सप्रे की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है। वह कांग्रेस में थी, है और रहेंगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि वह कांग्रेस में थी, हैं और रहेंगी। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने उनके बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से हाईकोर्ट में दल-बदल कानून के तहत बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे का निर्वाचन शून्य घोषित किये जाने की मांग की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि विधायक निर्मला सप्रे ने पार्टी

विरोधी गतिविधियों में लिप्त थी। लोकसभा चुनाव के दौरान पांच मई 2024 को राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थीं। कांग्रेस विधायक सप्रे भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, इसके बावजूद उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र नहीं दिया है। दलबदल कानून के प्रकाश में उनका यह रवैया गैर कानूनी है। इसलिए सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए।याचिका में कहा गया था कि विधायक सप्रे की सदस्य समाप्त किये जाने की संबंध में उन्होने 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार विधानसभा अध्यक्ष को 90 दिनों में सुनवाई पूर्ण कर आदेश जारी करना था। याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका प्रस्तुत करे दो साल से अधिक का समय गुजर गया है। जिसके कारण उक्त याचिका हाईकोर्ट में दायर की गयी है। याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में उक्त जानकारी पेश की गयी। सरकार की तरफ से बताया गया कि विधायक सप्रे को भाजपा ने सदस्यता प्रदान नहीं की है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल तथा सरकार की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पैरवी की।

अमर्यादित बहस पर वकील पर दस हजार जुर्माना

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने कर्मचारी संघ के पदाधिकारी होने के आधार पर वर्षों तक तबादले से छूट पाने वाले एक प्राध्यापक को राहत नहीं दी है। एकलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण सरकारी सेवा का सामान्य हिस्सा है और कार्यकाल पूरा होने के बाद कर्मचारी अपनी पसंद की जगह पर बने रहने का अधिकार नहीं रख सकता। चूंकि उक्त तबादलें पर किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है और पूरी कार्रवाई प्रशासनिक है, इसलिये उस पर दखल नहीं दिया जा सकता। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के विरुद्ध अमर्यादित भाषा के प्रयोग पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पर दस हजार का जुर्माना लगा दिया है

रांझी में व्याप्त पेयजल संकट के खिलाफ नागरिकों का फूटा आक्रोश

- नगर निगम कार्यालय में धरना-प्रदर्शन
- प्रदर्शनकारियों ने कहा जलापूर्ति के नाम पर सिर्फ हो रही खानापूर्ति

नवभारत, जबलपुर। रांझी में व्याप्त पेयजल संकट को लेकर गुरूवार को स्थानीजनों के साथ कांगेस का आक्रोश भड़क उठा। नतीजा ये रहा कि पूर्व पार्षद राजेश यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने नगर निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

इस संबंध में पूर्व पार्षद राजेश यादव ने बताया कि उपनगरीय क्षेत्र रांझी व गोकलपुर में भीषण जल संकट व्याप्त है। आलम ये है कि लोगों को एक टाईम भी पानी नहीं मिल रहा है। टैंकर से जल की आपूर्ति नहीं बल्कि केवल खानापूर्ति हो रही है और आमजनता तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि टैंकरों का पानी बेचा भी जा रहा है।

प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने आयुक्त एवं महापौर के नाम निगम के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि रांझी-गोकलपुर में टैंकर आपूर्ति बढ़ाई जाए और एक टाईम टंकियों को पूरा भरा जाए।

साथ ही मांगों में गोकलपुर वार्ड में अतिरिक्त टैंकर लगाए जाने, उदय नगर 3 में जल्द से जल्द बोरिंग कराने की भी मांग शामिल रही। इस दौरान बताया गया कि उदय नगर नं.2 (गोकलपुर वार्ड) में सार्वजनिक कुंए में मोटर पम्प लगा है परंतु वह चालू नहीं है। इसे तुरंत चालू करने और नई पाइप लाइन बिछाने का भी निगम के जिम्मेदारों को सुझाव दिया गया।